समक्ष एस.एस कांग, न्यायमूर्ति

घनश्याम शर्मा-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 1155

11 सितम्बर 1987.

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग 1-नियम 3.26(डी), खंड II-नियम 5.32-I(सी)-सरकारी सेवक-निर्दिष्ट आयु से अधिक सेवा में बनाए रखना-ऐसे प्रतिधारण के लिए उपयुक्तता का निर्धारण-असंचारित प्रतिकूल प्रविष्टि-ऐसी प्रविष्टि का महत्व—असंचारित सतर्कता रिपोर्ट—की प्रासंगिकता।

अभिनिर्धारित किया गया कि ए.सी.आर. में किसी सरकारी कर्मचारी के बारे में आने वाली प्रतिकूल रिपोर्टें, जो उसे सूचित नहीं की गई या जिसके विरुद्ध सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है, एक निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर उसे सेवा में बनाए रखने के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखी जा सकती। . इसलिए, यदि प्रतिकूल रिपोर्टें किसी सरकारी कर्मचारी को न बताई जाऐं तो उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, किसी बाहरी एजेंसी से आने वाली सतर्कता जांच रिपोर्ट, जो याचिकाकर्ता के काम, आचरण और प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके समीक्षा प्राधिकारी द्वारा न किया गया हो और जो याचिकाकर्ता को उपलब्ध न करवाई गई हो , याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आधार नहीं बन सकते।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय कृपा: -

(क)उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें विवादित आदेश (अनुबंध पी/8,) को रद्द कर दिया जाए,

(ख) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे;

(ग) अनुबंधों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट;

(घ) प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस जारी करने से छूट;

(ङ) रिट याचिका की लागत का पुरस्कार देकर रिट याचिका की अनुमति दें;

आगे प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी/8, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के विपरीत होने के कारण रद्द किए जाने योग्य है, और वे निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका में राज्य सरकार के ध्यान में लाए जाने पर, माननीय न्यायालय ने सुनवाई में ही आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी/8 को रद्द करने की कृपा की।

याचिकाकर्ता की ओर से जे.एस. खेहर, अधिवक्ता (दीपक अग्निहोत्री, उनके साथ अधिवक्ता)।

प्रतिवादियों की ओर से जगदेव शर्मा, डी.ए.जी., (हरियाणा)।

निर्णय

सुखदेव सिंह कंग, न्यायमूर्ति

(1) संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका में मुद्दा सरकार द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड ॥ का 32-ए (सी), के साथ पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1, भाग 1 के नियम 3.26 (डी) (इसके बाद 'नियम' कहा जाएगा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 अक्टूबर 1986 के आदेश (कॉपी अनुलग्नक पी.8) की वैधता का है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

सबसे पहले संक्षेप में तथ्यात्मक सांचा:

(2) 30 से अधिक वर्षों तक विभिन्न पदों पर राज्य स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने के बाद, याचिकाकर्ता 1986 में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के रूप में काम कर रहा था, जब उसकी सेवाओं को समय से पहले समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। उस समय उनकी आयु 56 वर्ष हो गयी थी। याचिकाकर्ता पर लागू सेवा नियमों के तहत, वह सेवानिवृत्ति की आयु यानी 58 वर्ष तक सेवा में बनाए रखने का पात्र था।

(3) याचिकाकर्ता का मामला है कि उसका सेवा करियर निष्कलंक रहा। अपनी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान, उनका रिकॉर्ड बहुत संतोषजनक था और उनके वरिष्ठों द्वारा उनका मूल्यांकन एक बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में किया गया था। यह मूल्यांकन याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में वर्ष 1975-76 से लेकर 1984-85 तक की प्रविष्टियों में परिलक्षित है। याचिकाकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, उसकी सभी रिपोर्टें उत्कृष्ट थीं। आक्षेपित आदेश प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक समीक्षा आवेदन दायर किया, जब याचिकाकर्ता को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य हुआ।

(4) रिट याचिका का प्रतिवादी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया गया कि रिट याचिका सक्षम नहीं थी। उपरोक्त नियम 5.32-ए(ई) और 3.26(डी) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के समान नहीं है, और परिणामस्वरूप, रिट याचिका दाखिल करने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं करता। योग्यता के आधार पर, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का संपूर्ण सेवा करियर 'उत्कृष्ट' नहीं था; काफी समय तक उनका मूल्यांकन एक औसत अधिकारी के रूप में ही किया गया था। आक्षेपित आदेश पारित करते समय जनहित को ध्यान में रखा गया। याचिकाकर्ता की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर संदेह जताते हुए कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपनी आय से ज़यादा धन/संपत्ति जमा की है और उसके अधिग्रहण के लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मामले की जांच राज्य सतर्कता विभाग से कराई गई और उन्होंने 12 अगस्त, 1986 को एक रिपोर्ट

प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आय से अधिक धन/संपत्ति जमा कर ली है और वह उसका हिसाब देने में असमर्थ है। सतर्कता विभाग के ये निष्कर्ष लिखित विवरण के साथ संलग्न अनुबंध आर-2 से निकाले जा सकते हैं।

(5) यह माना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा आवेदन पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें कोई योग्यता नहीं थी।

(6) बहस के दौरान, मैंने श्री जगदेव शर्मा, विद्वान उप महाधिवक्ता, हरियाणा से याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। विद्वान उप महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड से संबंधित सभी सामग्री बहुत ही निष्पक्षता से अदालत के समक्ष रखी है। मेरे पूछने पर, याचिकाकर्ता की पिछले 10 वर्षों यानी 1975-76 से लेकर 1984-85 तक याचिकाकर्ता के पास तीन 'उत्कृष्ट' रिपोर्ट, छह 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट और चार 'अच्छी' रिपोर्ट थीं। तो, याचिकाकर्ता के एसीआर के अनुसार, उनका सेवा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उन्हें औसत या औसत से नीचे का अधिकारी बताने वाली एक भी प्रविष्टि नहीं है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक लोक सेवक की निर्दिष्ट आयु (यानी वर्तमान मामले में 55 वर्ष) प्राप्त करने पर सेवा में बनाए रखने के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, उसके सेवा रिकॉर्ड में पिछले 10 वर्षों की प्रविष्टियाँ होनी चाहिए। एक लोक सेवक की पूरी सेवा में फैली बहुत पुरानी या पुरानी प्रविष्टियों को ध्यान में नही रखा जाना चाहिए। यह सच है कि नियम 5.32-ए(सी) और 3.26(डी), उक्त, बहुत व्यापक भाषा में दिए गए हैं। उसमें 'पूर्ण अधिकार' का भाव आयातित किया गया है। हालाँकि, सरकार की इस शक्ति या विवेक का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में ही किया जाना चाहिए। "समय-समय पर, सरकार ने सक्षम अधिकारियों द्वारा इस विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के पास कम से कम 70 प्रतिशत वेतन होना चाहिए। यदि वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बनाए रखना चाहता है तो अच्छी या बेहतर रिपोर्ट का प्रतिशत। ये रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों से संबंधित होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, नवीनतम निर्देशों के अनुसार भी, जिस पर प्रतिवादी द्वारा भरोसा जताया गया है, याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

7) इस मामले में निर्धारित 21 महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्य सतर्कता विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई जांच का प्रभाव और घर के निर्माण पर अत्यधिक खर्च और उसके संबंध में किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति के बारे में उनके निष्कर्ष क्या है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री खेहर ने सही तर्क दिया है कि 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय केवल उसके सेवा रिकॉर्ड को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट सेवा रिकार्ड का हिस्सा नहीं बनती। यह एक बाहरी एजेंसी से आया है. यह याचिकाकर्ता के कार्य, आचरण और प्रदर्शन का उसके रिपोर्टिंग प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता के समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले पर निर्णय लेते समय इस रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा जा सका। किसी अन्य कारण से भी इस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता। श्री शर्मा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता कभी भी सतर्कता विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से जुड़ा था। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रस्तुत की गई थी या उसके संबंध में उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि ए.सी.आर में किसी सरकारी कर्मचारी के बारे में होने वाली प्रतिकूल रिपोर्टों पर भी, जो उसे सूचित न की गई हो या जिसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया हो, एक निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवा में आईडी बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता। इस संदर्भ में ***बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य***[1] में सर्वोच्चता न्यायालय के नवीनतम निर्णय से हवाला लिया जा सकता है,

"हमारी राय है कि यही विचार उस मामले पर भी लागू होना चाहिए जहां किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त करने पर प्रतिकूल प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाता है। किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त करना अन्यायपूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा, जिसके बारे में या तो उसे सूचित नहीं किया जाता है या यदि उन प्रविष्टियों के खिलाफ किए गए संप्रेषित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है और उनका निपटान नहीं किया जाता है।"

---

[1] ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 948.

यह आदेश इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा ***श्री फकीर सिंह, एस.डी.ओ. (ऑपरेशन) सब-डिवीजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बुरौली बनाम हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चंडीगढ़***[2] के मामले में भी लागू किया गया था और यह माना गया कि प्रतिकूल रिपोर्ट जो अपराधी अधिकारी को सूचित नहीं की गई थी या प्रतिकूल रिपोर्ट जिसके खिलाफ अभ्यावेदन पर समीक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, समय से पहले सरकारी नौकर की सेवानिवृत्ति के प्रश्न पर निर्णय लेते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकती। इसलिए, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को न बताई गई प्रतिकूल रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, तो जांच रिपोर्ट, जो याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी, को भी समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। लिखित बयान के उप-पैरा 16(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "याचिकाकर्ता को सार्वजनिक हित में समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया था, इसलिए नहीं कि उसका 70 प्रतिशत रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि सतर्कता जांच ने उसकी ईमानदारी पर गंभीर आरोप लगाए थे।"

(8) नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को नियमों के तहत स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में जारी रखा गया माना जाएगा। कोई लागत नहीं।

एस. सी. के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

---

[2] सी.डब्ल्यू. .पी 1987 के 2343 का निर्णय 15 जुलाई 1987 को हुआ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा